न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
ग्रामवासी शाहबाद बनाम राज.सरकार
GCMS No- 2024/594
प्रकरण संख्या – 171/2024 प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 171/2024 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2024/594

1. ग्रामवासी शाहबाद निवासी शाहबाद तहसील निम्बाहेड़ा।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– ग्रामवासी शाहबाद – प्रार्थीगण स्वयं
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 31.07.2024
06/09/2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शाहबाद पटवार हल्का बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 128/258 रकबा 1.14 हैक्टेयर किस्म भूमि आबादी ग्राम पंचायत बड़ौलीघाटा की वर्तमान भू–प्रबंध नक्शे में तरमीम गत नक्शा व मौका अनुसार नहीं की जाकर विपरीत दिशा में कर दी गयी है उक्त आराजी के गत आराजी नंबर 251/68 रकबा 411 है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:–

1. ग्राम शाहबाद की साबिक आराजी नंबर 68 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा चारागाह में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि आबादी हेतू श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा आदेश क्रमांक 2053 दिनांक 14.12.2004 से आवंटित की गयी थी।
2. आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा ना.स. 134 दिनांक 28.12.2004 दर्ज किया गया जिस पर आबादी का नक्शा लगाया गया जिसके नवीन नंबर 251/68 बनाए गए व इसी अनुसार मूल नक्शे में तरकीम की गयी।
3. नवीन सेटलमेंट में उक्त साबिक आराजी नंबर 251/68 आबादी के नये नंबर 128/258 रकबा 1.14 हैक्टेयर बनाये गये।
4. उक्त नवीन नंबर 128/258 को [illegible] गलत अंकित किया गया जिसके बाबत पुनः पुराने नक्शे अनुसार शुद्धि चाही गयी है।
5. उक्त दुरस्ती बाबत सरपंच ग्राम पंचायत बड़ौलीघाटा [illegible] लिया गया है व पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक द्वारा उक्त दुरस्ती [illegible] की गयी है। मौके पर [illegible] आबादी बसी होना अंकित किया है। प्रस्ताव अनुसार तरमीम किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:29 IST
Reason: SelfAttested

6. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

एवं

> <u>धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण **(Maintenance)**</u> – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

9. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस उभपयपक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, सरपंच, ग्राम पंचायत बडौलीघाटा का प्रमाण पत्र, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की [illegible] बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम शाहबाद तहसील निम्[illegible] आराजी नंबर 128 / 258 रकबा 1.14 हैक्टेयर गत आराजी नंबर 251 / 68 रकबा [illegible] वर्तमान भू प्रबंध नक्शे में तरमीम गत नक्शा व मौका अनुसार नहीं [illegible] दिशा में कर दी गयी है जिसे वर्तमान नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:29 IST
Reason: SelfAttested

<u>आदेश</u>

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि वाके मौजा शाहबाद पटवार हल्का बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर

128/258 रकबा 1.14 हैक्टेयर भूमि किस्म आबादी भूमि में तरमीम गत नक्शे व मौके अनुसार किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार अमल दरामद करे। उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित हिस्सा अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:29 IST
Reason: SelfAttested